



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा. संख्या: सीआर/एसआईडी-सीडैक(1)/14(IV)

दिनांक:- 08.07.2019

क्र. अनुभाग परिपत्र संख्या: 04/2019

विषय: भारतीय समुद्रकर्मियों को समुद्रकर्मों पहचान प्रलेख (एसआईडी) जारी करना - संबंधी

- वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 02/2019 (फा. संख्या: सीआर/एसआईडी-सीडैक(1)/14(IV) दिनांक 09.04.2019) के माध्यम से दिनांक 05.04.2019 को औपचारिक रूप से भारतीय समुद्रकर्मियों के लिए एसआईडी आरंभ किया गया।
- वर्तमान में सरकारी नौवहन कार्यालय, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में डाटा एकत्रित करने एवं एसआईडी जारी करने का कार्य किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि यह सुविधा समुद्री वाणिज्य विभागों में भी लाई जाए एवं नोएडा, गोवा, न्यू मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तनम एवं कांडला नामक छह सवावि में भी डाटा कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो दिनांक 01.08.2019 से कार्य करना आरंभ करेंगे।
 - एसआईडी को शुरू करते समय, समुद्रकर्मियों द्वारा चुने गए तीनों डाटा कलेक्शन सेंटर में प्रतिदिन अधिकतम 20 स्लॉट बुक कर सकते थे, जो क्रमशः सरकारी नौवहन कार्यालय मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में प्रतिदिन 150, 100 एवं 100 तक बढ़ाये गये हैं। यह देखा गया है कि समुद्रकर्मियों द्वारा इन स्लॉटों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। समुद्रकर्मियों से यह अनुरोध है कि डाटा कलेक्शन के लिए उपलब्ध सभी स्लॉटों का पूरा उपयोग किया जाए। सभी नौवहन कंपनियों एवं समुद्रकर्मियों यूनियनों से यह अनुरोध है कि समुद्रकर्मियों में इस जानकारी का प्रचार-प्रसार करें।
 - नोएडा, गोवा, न्यू मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तनम एवं कांडला इन छह सवावि में नए डाटा कलेक्शन सेंटर्स के लिए स्लॉट की बुकिंग दिनांक 22.07.2019 एवं दिनांक 01.08.2019 से आगे डाटा कलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) से भी अनुरोध है कि क्षेत्र विशेष से संबंधित सरकारी नौवहन कार्यालय / समुद्री वाणिज्य विभाग के सहयोग से यह देखा जाए कि प्रतिदिन उपयोग में कितने स्लॉट नहीं लाए गए हैं ताकि समुद्री प्रशिक्षण संस्थान के संबंधित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा डाटा कलेक्शन के लिए उपयोग में न लाए गए स्लॉटों को उचित रूप से उपयोग में लाया जा सके।
 - इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुभाष बरगुजर)

उप नौवहन महानिदेशक

प्रतिलिपि:-

- सभी समुद्री वाणिज्य विभाग
- सरकारी नौवहन कार्यालय मुंबई/कोलकाता/चेन्नई
- सीडैक, मुंबई
- नौमनि की वेबसाइट पर लगाने के लिए ई-गवर्नेंस अनुभाग